प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 78/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियम और शर्तों की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इससे पूर्व, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 02.06.2022 के अपने संदर्भ के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से विशेष रूप से तकनीकी स्थितियों (अर्थात पीएसटीएन के साथ कनेक्टिविटी, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, पीएमआरटीएस को स्पेक्ट्रम का आबंटन, 5जी के तहत नेटवर्क स्लाइसिंग का उपयोग आदि) और वित्तीय पहलुओं आदि के संबंध में सीएमआरटीएस और पीएमआरटीएस सेवाओं के लिए नए लाइसेंस जारी करने के लिए नियमों और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। ट्राई से सीएमआरटीएस और पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले किसी भी अन्य मुद्दे पर अपने विचार देने का भी अनुरोध किया गया था। उक्त संदर्भ के साथ, दूरसंचार विभाग ने पीएमआरटीएस लाइसेंसधारियों, उनके संघ और सीएमआरटीएस लाइसेंसधारियों से प्राप्त अभ्यावेदन भी संलग्न किया था। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से दूरसंचार विभाग से विषय वस्तु पर जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में, दूरसंचार विभाग ने ट्राई को अपने इनपुट उपलब्ध कराए थे।

3. इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए 'पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर दिनांक 26.09.2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और दिनांक 10.10.2023 तक प्रति-टिप्पणियाँ हितधारकों से आमंत्रित की गई हैं।

4. टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई